



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2615]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2019/श्रावण 17, 1941

No. 2615]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2019/SHRAVANA 17, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

का.आ. 2874(अ).—यतः, मै. महावीर स्काईस्कैपर्स लिमिटेड, ने आंध्र प्रदेश राज्य के रंगारेड्डी जिले में चेवेल्ला गांव, फरहा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप.धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 919(अ) दिनांक 06 जून, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 22.78 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. महावीर स्काईस्कैपर्स लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 22.78 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र सं. 1357/आईटी&सी/प्रोम2/2006 दिनांक 14 मई, 2019 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम, एस ई जेड ने विशेष आर्थिक जोन के 22.78 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 2/555/2006—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2874(E).—WHEREAS, M/s. Mahaveer Skyscrapers Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Chevella Village, besides Faraha Engineering College, Ranga Reddy District in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 22.78 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 919(E) dated 06th June, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Mahaveer Skyscrapers Limited has now proposed to de-notify entire area of 22.78 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its “No Objection” to the proposal vide letter No.1357/IT&C/Prom2/2006 dated 14th May, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam, Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 22.78 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/555/2006-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.